

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 67/2022 GCMS 2022/131

वादीगण :-

1. प्रभूराम पुत्र श्री भंवरलाल जाति बावरी निवासी अड़कसर तहसील कुचामन सिटी
प्रतिवादीगण :-

1. लिछमणराम पुत्र कालूराम
 2. गणेशाराम पुत्र हेमाराम
 3. चोखाराम पुत्र रेखाराम
 4. पतासी देवी पत्नी रेखाराम
 5. पन्नाराम पुत्र रेखाराम
 6. मोहनराम पुत्र रेखाराम (फौत)
 7. नारायणी देवी पत्नी मोहनराम
 8. मधु देवी पुत्री मोहनराम
 9. बरजी देवी पुत्री मोहनराम
 10. राजू देवी पुत्री मोहनराम
 11. बाईला पुत्री मोहनराम
 12. पांची देवी पुत्री मोहनराम
 13. किरण देवी पुत्री मोहनराम
 14. मनोज पुत्र मोहनराम
 15. रेखाराम पुत्र देवाराम
 16. लाधुराम पुत्र रेखाराम
 17. लिछमण राम पुत्र रेखाराम समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी
 18. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
 19. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
- दावा :- इस्तकरार हक व भू-विभाजन बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री बिरामाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से

:-निर्णय :-


दिनांक :- 26/05/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भूअ./2025/699 दिनांक 28.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 24.04.2025 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 24.04.2025



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काशत होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(हे० में)
1.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी अड़कसर खातेदार	53 में पूर्वी तरफ	0.6905
		54 में पश्चिम तरफ	0.0283
		56 में पश्चिम तरफ	0.0167
		कुल रकबा	0.7355
2.	लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट सा. देह	52 में से	0.6760
		53 में से पश्चिम	0.0595
		कुल रकबा	0.7355
3.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी हिस्सा 1/2 नि. अड़कसर लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार	52 में से	0.0740
4.	गणेशाराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह चोखाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पतासी पत्नी रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पनाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर मोहनराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रेखाराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह लादूराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह लिछमणराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर	51	2.1300
		54 में से पूर्वी तरफ	0.2817
		55	0.0700
		56 में से पूर्वी तरफ	0.7333
		57	0.6900
		58	0.7300
		कुल रकबा	4.6350

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काशत नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

-: आदेश :-

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सबलपुरा पटवार चारणवास तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(हे० में)
1.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी अड़कसर खातेदार	53 में पूर्वी तरफ	0.6905
		54 में पश्चिम तरफ	0.0283
		56 में पश्चिम तरफ	0.0167
		कुल रकबा	0.7355
2.	लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट सा. देह	52 में से	0.6760
		53 में से पश्चिम	0.0595
		कुल रकबा	0.7355
3.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी हिस्सा 1/2 नि. अड़कसर लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार	52 में से	0.0740
4.	गणेशाराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह चोखाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पतासी पत्नी रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पनाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर मोहनराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रेखाराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह लादूराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह लिछमणराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर	51	2.1300
		54 में से पूर्वी तरफ	0.2817
		55	0.0700
		56 में से पूर्वी तरफ	0.7333
		57	0.6900
		58	0.7300
		कुल रकबा	4.6350

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 24.04.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I RAS)
अप्राध अधिकारी
कुचामन सिटी (डी डवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बईजलास :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 67 / 2022 GCMS 2022/131

वादीगण :-

1. प्रभूराम पुत्र श्री भंवरलाल जाति बावरी निवासी अड़कसर तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :-

1. लिछमणराम पुत्र कालूराम
2. गणेशाराम पुत्र हेमाराम
3. चोखाराम पुत्र रेखाराम
4. पतासी देवी पत्नी रेखाराम
5. पन्नाराम पुत्र रेखाराम
6. मोहनराम पुत्र रेखाराम (फौत)
7. नारायणी देवी पत्नी मोहनराम
8. मधु देवी पुत्री मोहनराम
9. बरजी देवी पुत्री मोहनराम
10. राजू देवी पुत्री मोहनराम
11. बाईला पुत्री मोहनराम
12. पांची देवी पुत्री मोहनराम
13. किरण देवी पुत्री मोहनराम
14. मनोज पुत्र मोहनराम
15. रेखाराम पुत्र देवाराम
16. लाधुराम पुत्र रेखाराम
17. लिछमण राम पुत्र रेखाराम समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी
18. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
19. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा :- इस्तकरार हक व भू-विभाजन बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी.....
..... मिनजानिब मुदई रू-बरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(है० में)
1.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी निवासी अड़कसर खातेदार	53 में पूर्वी तरफ	0.6905
		54 में पश्चिम तरफ	0.0283
		56 में पश्चिम तरफ	0.0167



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

		कुल रकबा	0.7355
2.	लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट सा. देह	52 में से	0.6760
		53 में से पश्चिम	0.0595
		कुल रकबा	0.7355
3.	प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति बावरी हिस्सा 1/2 नि. अड़कसर लिछमणराम पुत्र कालूराम जाति जाट हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार	52 में से	0.0740
4.	गणेशाराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह चोखाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पतासी पत्नी रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह पनाराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर मोहनराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रेखाराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह लादूराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह लिछमणराम पुत्र रेखाराम हिस्सा 1/18 जाति जाट सा. देह रहन बदस्तूर	51	2.1300
		54 में से पूर्वी तरफ	0.2817
		55	0.0700
		56 में से पूर्वी तरफ	0.7333
		57	0.6900
		58	0.7300
		कुल रकबा	4.6350

निज मुबलिग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत
अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



(सुनील कुमार-I RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)